

भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1926

06 दिसम्बर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

### आयुष सेवाओं में सुधार करना

1926. डॉ. नामदेव किरसान:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने देश में आयुष सेवाओं की अवसंरचना और पहुंच में सुधार करने के लिए महाराष्ट्र सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार उपाय किए हैं/करने का विचार है;
- (ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ग) सरकार द्वारा पूरे देश में आज की तिथि तक राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के अंतर्गत आयुष पद्धतियों और औषधियों के विकास को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है; और
- (घ) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में एनएएम के अंतर्गत महाराष्ट्र सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी धनराशि स्वीकृत/आवंटित/उपयोग की गई है?

### उत्तर

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ग) : आयुष मंत्रालय महाराष्ट्र सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के माध्यम से राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्रीय प्रायोजित योजना को क्रियान्वित कर रहा है और आयुष पद्धति के समग्र विकास और संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है, जिसमें देश में आयुष सेवाओं, प्रथाओं और औषधियों की बुनियादी संरचना और पहुंच में सुधार भी शामिल है। मिशन अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित गतिविधियों के लिए प्रावधान करता है:-

- i. मौजूदा आयुष औषधालयों और उप स्वास्थ्य केंद्रों को उन्नत करके आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों का संचालन, जिसे आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) का नाम दिया गया है।
- ii. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) और जिला अस्पतालों (डीएच) में आयुष सुविधाओं की सह-स्थापना।
- iii. मौजूदा एकल सरकारी आयुष अस्पतालों का उन्नयन।
- iv. मौजूदा सरकारी/पंचायत/सरकारी सहायता प्राप्त आयुष औषधालयों का उन्नयन/मौजूदा आयुष औषधालय (किराए पर/जीर्ण-शीर्ण आवास पर) के लिए भवन का निर्माण/उन क्षेत्रों में नए आयुष औषधालय की स्थापना के लिए भवन का निर्माण, जहाँ कोई आयुष सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।
- v. 10/30/50 विस्तरों तक के एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना।
- vi. राजकीय आयुष अस्पतालों, राजकीय औषधालयों और सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थागत आयुष अस्पतालों को जरूरी औषधियों की आपूर्ति।
- vii. आयुष जन स्वास्थ्य कार्यक्रम।
- viii. उन राज्यों में नए आयुष महाविद्यालयों की स्थापना जहाँ सरकारी क्षेत्र में आयुष शिक्षण संस्थानों की उपलब्धता अपर्याप्त है।
- ix. आयुष स्नातक पूर्व संस्थानों और आयुष स्नातकोत्तर संस्थानों का अवसंरचनात्मक विकास/पीजी/फार्मेसी/पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों को शामिल करना।

(घ) : राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) के माध्यम से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार, आयुष मंत्रालय ने एसएएपी की विभिन्न अनुमोदित गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान 2535.65 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की है। पिछले तीन वर्षों और चालू

वर्ष के दौरान, देश में एनएप्स के तहत महाराष्ट्र सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्वीकृत/आवंटित/उपयोग की गई धनराशि संलग्नक पर दी गई है।

\*\*\*\*\*

#### संलग्नक

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान, देश में राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत महाराष्ट्र सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्वीकृत/आवंटित/उपयोग की गई धनराशि

क्र. सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	2021-22		2022-23		2023-24		2024-25	
		स्वीकृत/आवंटित	उपयोग किया गया						
1	अंडमान और निकोबार द्वीप	296.06	295.44	142.39	142.39	407.29	387.65	542.76	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा रिपोर्ट नहीं की गई।
2	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2497.19	
3	अरुणाचल प्रदेश	180.85	180.85	402.04	402.04	1186.04	1016.60	0.00	
4	অসম	639.52	507.91	1011.77	908.67	3471.45	2883.72	4263.25	
5	বিহার	1686.08	1686.08	0.00	0.00	1161.06	197.03	0.00	
6	চণ্ডীগঢ়	94.86	94.05	189.73	155.02	226.32	210.86	447.58	
7	ছত্তীসগড়	841.31	735.01	0.00	0.00	2151.43	1217.82	3194.06	
8	দাদরা ও নাগর হোলী ও দমন ও দীব	0.00	0.00	0.00	0.00	408.45	296.10	0.00	
9	দিল্লী	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	গোবা	218.99	218.99	142.29	105.37	628.30	517.22	610.67	
11	ગુજરાત	466.93	450.55	1908.62	794.41	2961.42	920.27	0.00	
12	হরিয়ানা	647.70	623.62	1219.91	1219.91	3026.59	2705.72	1371.90	

13	हिमाचल प्रदेश	1261.80	1256.40	3873.58	3723.53	3659.22	2244.07	0.00
14	जम्मू-कश्मीर	1313.11	1245.61	4895.09	4699.57	7510.36	7079.61	4361.60
15	झारखण्ड	1309.77	1309.77	7752.57	7752.57	2390.42	2090.39	0.00
16	कर्नाटक	1821.46	1777.80	1714.09	1546.45	5031.54	4605.48	3675.79
17	केरल	1153.39	1153.39	4399.83	4122.00	7989.40	7381.76	6237.96
18	लद्दाख	187.45	180.89	72.27	72.27	47.32	41.77	190.29
19	लक्ष्मीप	64.26	64.26	116.32	116.32	332.01	319.69	220.48
20	मध्य प्रदेश	3123.20	3116.93	1716.00	1649.90	6120.00	5132.34	4689.59
21	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00	0.00	2235.54	1291.86	0.00
22	मणिपुर	170.04	128.72	1723.00	1590.54	0.00	0.00	1276.67
23	मिजोरम	259.08	259.08	117.27	117.27	1057.86	986.48	550.74
24	मेघालय	609.78	609.78	796.84	796.84	1722.60	1341.01	0.00
25	नागालैंड	232.27	232.27	495.78	495.78	1016.97	934.53	892.11
26	ओडिशा	1075.38	1071.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2369.21
27	पुडुचेरी	200.27	199.03	623.95	615.88	197.08	146.16	0.00
28	पंजाब	527.28	527.28	0.00	0.00	109.85	61.46	0.00
29	राजस्थान	3189.00	2940.51	0.00	0.00	3731.51	1797.40	10088.30
30	सिक्किम	99.30	99.30	626.06	626.06	492.37	492.37	217.39
31	तमिलनाडु	2348.27	2147.03	2428.69	1879.99	6635.76	4727.45	0.00
32	तेलंगाना	3132.25	3044.95	0.00	0.00	1225.17	852.40	2491.38
33	त्रिपुरा	138.71	127.32	1030.90	1008.40	566.99	412.31	815.77
34	उत्तर प्रदेश	13809.72	13601.37	14437.60	13723.78	12418.60	11105.30	13903.18
35	उत्तराखण्ड	2622.50	2622.50	1855.80	1855.80	3234.38	2713.15	1337.83
36	पश्चिमी बंगाल	2118.05	2118.05	1056.58	900.33	3379.39	2220.14	0.00
कुल		45838.62	44625.78	54748.94	51021.07	86732.66	68330.12	66245.68